निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण 1946 (श0)

(सं0 पटना 689) पटना, बुधवार, 24 जुलाई 2024

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

23 जुलाई 2024

सं० वि०स०वि०–19/2024–**2757**/वि०स० ।— ''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 23 जुलाई, 2024 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024

[वि०स०वि०-14/2024]

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 में संशोधन करने हेतु विधेयक :–

प्रस्तावना:– चूँकि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 में शिक्षक की परिभाषा को व्यापक किया जाना आवश्यक है। साथ ही साथ राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रभावी किया जाना भी अनिवार्य है।

अतः भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में, बिहार की विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ ।–

(क) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा।

(ख) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 की धारा–2 का संशोधन ।– बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 20, 2018) की धारा 2 की उपधारा (vi) निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2 (vi) ''शिक्षक' से अभिप्रेत है प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, एवं विश्वविद्यालय या अंगीभूत कॉलेज या राज्य सरकार द्वारा संचालित विभाग, कॉलेज या उच्च शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्रदान करने वाले प्राचार्य।''

3. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 की धारा–8 का संशोधन।– बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 में, धारा (8) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

8 "आयोग, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) तथा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार बिहार के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनुसंशा करेगा। आयोग राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति की अनुसंशा भी करेगा। आयोग शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि उक्त अधिनियमों एवं उसके अधीन बनाए गए परिनियमों के अधीन आयोग के लिए विहित किया गया है।"

4. व्यावृत्ति।– अधिनियम की धारा 2 एवं धारा 8 में उक्त संशोधन के होने के बावजूद इन धाराओं के अन्तर्गत पूर्व में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई विधि पूर्ण किया गया समझा जायेगा या की गई समझी जायेगी और संशोधन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा या की जाएगी।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) के तहत बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संचालित हो रहा है। वर्तमान में इस आयोग को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत संचालित विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के लिए ही शिक्षकों की नियुक्ति हेतु शक्ति प्रदत्त है। इस आयोग को राज्य के शिक्षा विभाग अधीन अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु शिक्षक की परिभाषा को व्यापक किया जाना तथा सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्राधिकृत किया जाना भी अनिवार्य है।

इस निमित्त बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) की धारा 2 एवं धारा 8 में कतिपय संशोधन हेतु इस विधेयक को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(सुनील कुमार)
भार–साधक सदस्य।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना
दिनांक–23.07.2024

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 689-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in